बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग

5, हार्डिंग रोड, पटना–800001

(बेवसाइटः https://bpssc.bihar.gov.in)

संदर्भः विज्ञापन संख्या–01/2024

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में ''आशु सहायक अवर निरीक्षक'' (Steno Assistant Sub-Inspector) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित पात्रता की जाँच परीक्षा का परिणाम एवं अभिलेख सत्यापन की सूचना।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आशु सहायक अवर निरीक्षक की 305 (तीन सौ पाँच) रिक्तियों के विरूद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक–14.12.2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2024 के क्रम में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक–23.02.2025 (रविवार) को आयोजित की गयी थी।

(2) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पात्रता की जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु मेधाक्रमानुसार, आरक्षण कोटिवार मूलतः उपलब्ध रिक्तियों के 6 गुणा अभ्यर्थियों का चयन किया गया। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाये गये अभ्यर्थियों का पात्रता की जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। दिनांक–15.04.2025 से दिनांक–17.04.2025 तक प्रतिदिन दो पालियों में पटना में पात्रता की जाँच परीक्षा का आयोजन किया गया।

(3) पात्रता की जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र 1830 अभ्यर्थियों में से 1132 अभ्यर्थी पात्रता की जाँच परीक्षा में उपस्थित हुये तथा 698 अनुपस्थित रहे। उपस्थित 1132 अभ्यर्थियों में से 1099 अभ्यर्थियों ने कम्प्यूटर आधारित पात्रता की जाँच परीक्षा में भाग लिया तथा 33 अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–13062 दिनांक–12.10.2017 की कंडिका 2(xv) में निहित प्रावधान के आलोक में पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों हाथों से दिव्यांगता के आधार पर कम्प्युटर सक्षमता जाँच परीक्षा से विमुक्ति का दावा किया।

(4) बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना 6838 दिनांक–23.08.2017 के नियम 5(8) के अनुरूप पात्रता की जाँच परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की हिन्दी श्रुतिलेखन, श्रुतिलेखन टंकण, हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर जाँच परीक्षा ली गयी।

(5) श्रुतिलेखन (Shorthand), श्रुतिलेखन (Shorthand) का टंकण, हिन्दी टंकण, अंग्रेजी टंकण विषय की 1099 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नियामावली में निर्धारित मापदंड के अनुसार किया गया जिसका फलाफल नीचे तालिका में दर्शाया जा रहा हैः

BPSSC Advt. No. 01/2024 Steno ASI, Eligibility Test Status		
1	Hindi Short Hand Writing Qualified	793
2	Hindi Short Hand Writing Not Qualified	306
3	Hindi Short Hand Typing Qualified	81
4	Hindi Short Hand Typing Not Qualified	1018
5	Hindi Typing Qualified	245
6	Hindi Typing Not Qualified	854
7	English Typing Qualified	157
8	English Tying Not Qualified	942

(6) (क) पात्रता की जाँच के आधार पर सभी विषयों में 36 (छत्तीस) अभ्यर्थी उत्तीर्ण पाए गए।

(ख) 33 (तैंतीस) अभ्यर्थियों को दिव्यांगता के आधार पर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–13062 दिनांक–12.10.2017 की कंडिका 2(xv) में निहित प्रावधान के आलोक में पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों हाथों से दिव्यांगता के आधार पर उनके दावे एवं अनुरोध पर कम्प्युटर सक्षमता जाँच परीक्षा से विमुक्त किया गया।

(7) पात्रता की जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण तथा दिव्यांगता के आधार पर पात्रता की जाँच से विमुक्त अभ्यर्थियों की सूची पात्रता की जाँच परीक्षा के अनुक्रमांकवार निम्नवत हैः

(कृपया इसे मेधा सूची न समझा जाय।)

1053	1280	1780	2106	2533	2595	2621	2649
1060	1341	1834	2135	2536	2597	2623	2652
1064	1495	1835	2138	2553	2601	2625	2663
1153	1531	1904	2153	2554	2604	2627	2671
1203	1581	1945	2211	2559	2615	2633	2676
1236	1661	2003	2341	2569	2617	2634	2812
1261	1706	2026	2354	2573	2618	2636	
1262	1708	2079	2379	2576	2619	2643	
1269	1759	2083	2528	2579	2620	2647	

(8) उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लिखित पात्रता की जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा से विमुक्त 69 (36+33) अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जाँच बिहार पुलिस अवर सेवा

आयोग, कार्यालय में दिनांक–23.05.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से की जायेगी। सभी चयनित अभ्यर्थियों का निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अभिलेख सत्यापन कराना अनिवार्य है।

(9) सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक–20.03.2025 को प्रकाशित सूचना (पत्र संख्या–224 दिनांक–18.03.2025) में सन्निहित सूची के अनुरूप अपने प्रवेश–पत्र तथा ऑनलाइन आवेदन के पावती की छायाप्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्र तथा उसकी एक सेट छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे।

(i) वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र जैसे– मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।

(ii) मैट्रिक उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि हेतु)।

(iii) इण्टरमिडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र (शैक्षणिक योग्यता हेतु)।

(iv) दिनांक–01.08.2024 तक कम्प्युटर संचालन में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र (सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत)।

(v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

(vi) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण–पत्र एवं प्रपत्र–xviii B (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण–पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित / अविवाहित) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

(vii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।

(viii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2023–2024 की आय एवं परिसम्पतियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण–पत्र। बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक–26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमान्य होगा।

(ix) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षो की अवधि पूरी कर ली हो, वे अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएँगे।

(x) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपना पी0पी0ओ0 तथा डिस्चार्ज बुक लाना अनिवार्य होगा। (यदि लागू हो)

(xi) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का प्रमाण–पत्र (बिहार राज्य के निवासियों के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत)। (यदि लागू हो)

(xii) दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र।

(xiii) ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(r) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतिलेखक की सुविधा ली है तथा जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–13062 दिनांक–12.10.2017 की कंडिका 2(xv) में निहित प्रावधान के आलोक में पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों हाथों से दिव्यांगता के आधार पर पात्रता की जाँच परीक्षा से विमुक्ति का दावा किया है वे सम्बन्धित दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जिसमें वांछित स्तर की दिव्यांगता का स्पष्ट उल्लेख हो अवश्य उपस्थापित करेंगे अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जायेगा।

(10) सभी अभ्यर्थियों का विज्ञापन संख्या–01/2024 में वर्णित सभी शर्तों, प्रक्रिया एवं प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा–01–05/2024–366 दिनांक–09.05.2025

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,
5, हार्डिंग रोड, पटना – 800001

प्रतिलिपिः– 1. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. **पुलिस महानिदेशक**, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।